दिल्ली विकास प्राधिकरण

दिल्ली , संसार में सबसे पुराने मौजूदा शहरों में से एक है । पांडवों के पौराणिक शहर इन्द्रप्रस्थ के रुप आरम्भ होकर दिल्ली लगातार सुलतान, मुगल, ब्रिट्रिश और अब गणराज्य भारत की राजधानी है ।

सन् 1947 तक दिल्ली का जनसंख्या प्रचुर संसाधन के साथ कम थी । भारत के विभाजन के बाद लाखों शरणार्थी ट्रजिंट कैम्पों में आए और बहुत सारी कालोनी जिनका बहुत तेज गति से विकास हुआ, में बस गए ।

अव्यवस्थित स्थिति में इस उभरते हुए महानगर का क्रमबद्ध विकास करने और योजना तैयार करने के लिए एक संगठन बनाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा । एक विधेयक, दिल्ली (बिल्डिंग प्रचालन का नियंत्रण) विधेयक सन् 1955 में प्रख्यापित किया गया और तब और दिल्ली की विकास योजना तैयार करने इसे इस प्रकार लागू करने के लिए तब दिल्ली विकास प्राधिकरण का गठन किया गया था जिससे कि इसकी वर्तमान जनसंख्या के लिए आश्रय मूलभूत सेवाएं और सुविधाए मुहैया हो सके तथा इसके भावी विकास के लिए उपबन्ध भी बनाए जा सकें ।

दिल्ली विकास प्राधिकरण , बिना किसी अनुकरणीय रोल मॉडल के साथ भारत का पहला विकास प्राधिकरण था । इसके लिए एकीकृत विकास कार्ययोजना तैयार करने और इसका कार्यान्वयन करने के चुनौतीपूर्ण कार्य का सामना किया था, जो बहुत सस्ते रुम में किया था तथा उस समय यह कार्यात्मक रुप से उपयोगी, अच्छे पर्यावरण तथा सौन्दर्य की दृष्टि से आकर्षक था, जो भविष्य के तीव्र जटिल परिदृश्य की मांग पूरी करते हुए इस नगर की बहुमूल्य विरासत को बनाए रखेगा ।

इस कार्ययोजना को वास्तविक रुप देने के लिए, दिल्ली विकास प्राधिकरण ने 1962 में एक मास्टर प्लान तैयार की जिसे सन् 1990 में वर्ष 2001 के परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए संशोधित कर दिया । नब्बे के दशक में दिल्ली में के अत्यधिक विकास ने इसे दोनों जनसांख्यिकी और स्थानिक रुप से अनिवार्य बनाया कि मास्टर प्लान का आगे संशोधन किया जाए ।

वर्ष 2021 तक की मास्टर प्लान तैयार की जा रही है । इसके आरम्भ होने से आज तक, दिल्ली विकास प्राधिकरण 64766.85 एकड़ भूमि का अधिग्रहण कर चुका है जिसमें से 62274.19 एकड़ भूमि को आवासीय, वाणिज्यिक , औद्योगिक, उद्यान , संस्थानिक और मनोविनोद प्रयोग हेतु पहले से ही विकसित की जा चुकी है ।

दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सन 1968 में आवासीय फ्लैटो का निर्माण आरम्भ किया । विभिन्न आय वर्ग के लिए 26 आवासीय स्कीमें चलाई । मार्च 2001 तक, व्यैक्तिक, सहकारी समितियों, पुनर्वास कालोनियों आदि 1.40 मिलियन आवासीय इकाईयों को भूमि मुहैया कराकर निर्माण कार्य करने के साथ-साथ निर्माण कार्य को सक्षम बनाया है ।

दिल्ली विकास प्राधिकरण ने 6 पूर्ण अधिकार वाली जिला स्तरीय वाणिज्यिक केन्द्र विकसित किए जिसमें से एक नेहरु प्लेस, भीकाजीकामा प्लेस, राजेन्द्र प्लेस आदि है जो कुशलबद्ध तरीके से

व्यापार, वाणिज्य और रोजगार के अवसर जुटाते हैं । इसके अलावा 428 सुविधा शापिंग केन्द्र,122 स्थानीय शॉपिंग केन्द्र और 25 सामुदायिक केन्द्रो के साथ वाले आवासीय परिसर में बनाए गए है ।

दिल्ली विकास प्राधिकरण ने 22 औद्योगिक एस्टेट बनाए हैं और उनका प्रबन्धन कर रहा है जो लगभग 12,000 इकाईयों की मांग पूरी करते है जिसमें अस्थायी क्षेत्र से अलग स्थान पर ले जाया जाने वाले क्षेत्र शामिल है । 44777 हैक्टेयर कुल शहरी क्षेत्र में से , 8722 हैक्टेयर क्षेत्र हरित और मनोविनोद प्रयोजनों के लिए चिन्हित किया गया है । दिल्ली विकास प्राधिकरण ने 4520 हैक्टेयर हरित क्षेत्र विकसित किया है जिसमें रीजनल पार्क और शहरी वन क्षेत्र से डिस्ट्रिक पार्क और हरित पट्टी तक का क्षेत्र शामिल है ।

दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक और धार्मिक संगठनों को रियायती दर पर भूमि आबंटित की है जिसने शहर के सामाजिक और सांस्कृतिक स्वरुप में विविधता लाने और इसे बेहतर बनाने में सहायता की है ।

उन लोगों के लिए खेलकूद और मनोविनोद सुविधाओं के लिए प्रावधान करना जो विशेष सोशल क्लब में नहीं आ सकते , यह दिल्ली विकास प्राधिकरण की एक महत्वपूर्ण प्राथमिकता थी । इसने शहर में सभी जगह अब तक 8 खेलकूद केन्द्र , 26 व्यवस्थित खेल के मैदान और सैकडों अव्यवस्थित खेल केन्द्र की योजना बनाकर विकसित किया है ।

सांस्कृतिक विरासत को बनाए रखने के लिए, दिल्ली की मास्टर प्लान में सुरक्षित रखने के उद्देश्य से कुछ ऐतिहासिक स्मारकों को सूचीबद्ध किया है । दिल्ली विकास प्राधिकरण की खोज केवल जाने- पहचाने वाले पहचान किए गए स्मारकों तक ही सीमित नहीं रह गई है लेकिन अब तक बिना पहचान वाले क्षेत्रों को खोजा है और गाने वाले पीढ़ियों में इन्हें सुरक्षित रखना है । इस खोज में, भवन को कम से कम 100 वर्षों तब बनाए रखने इसके अनुरक्षण और अच्छी स्थिति बनाए रखने के लिए ' दिल्ली विकास प्रधिकरण शहरी विरासत पुरस्कार' का आरम्भ अन्त में हुआ तथा जो अब भी चल रही है । दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दिल्ली विकास प्राधिकरण, अधिनियम 1957 की धारा 5-क के अन्तर्गत दिनांक 28 सितम्बर 1999 को भारत के राजपत्र में जारी अधिसूचना के द्वारा अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए शहरी विरासत नीव बनाई गई है जिसका उद्देश्य दिल्ली की निर्मित और प्राकृतिक विरासत का संरक्षण करने पर ध्यान देना है ।

दिल्ली का 21वीं सदी में प्रवेश

एक शहर की योजना तैयार करना और निर्माण कार्य करना एक सत्त प्रक्रिया है । दिल्ली जैसे शहर के लिए इससे भी अधिक महत्वपूर्ण शहरी जनसंख्या की तीव्र वृद्धि की बडी चुनौती का सामना करना है । दिल्ली, नगर में एक उप नगर और दो उप-कस्बे बना रही है । एक मिलियन जनसंख्या के लिए द्वारका नामक उपनगर की योजना बनाई गई है । 5648 हैक्टेयर क्षेत्र से अधिक क्षेत्र में फैल, द्वारका इस नगर में एक स्वयं	

समाहित एकीकृत शहर होगा । नरेला और धीरपुर कस्बों में क्रमशः 7365 हैक्टेयर, 194.5 हैक्टेयर क्षेत्र शामिल होगा । इन दोनों शहरों की योजना बनाई गई है ताकि शहरी दिल्ली में दबाव कम किया जा सके ।	

निजीकरण

आर्थिक उदारीकरण की नीति के अनुरुप, दिल्ली विकास प्राधिकरण मकानों का निर्माण करने और अवस्थापना सुविधाओं का विकास करने के लिए निजी बिल्डिरों और विकासकर्ताओं को शामिल करने की योजना बना रहा है । इस मंत्रालय ने बडे पैमाने पर आवास निर्माण में निजी बिल्डिरों को शामिल करने के लिए जून,1998 में अपनी नीति भी जारी की है ।